शीर्ष प्राथमिकता

संख्या- 940/तीन-2020-6(12)/2018

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अलीगढ़/सहारनपुर/गोरखपुर एवं बागपत।

सामान्य प्रशासन अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 22 दिसम्बर, 2020**

विषयः- अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत पुरस्कृत किये गये उत्तर प्रदेश के नागरिकों को वित्तीय वर्ष 2020-21 व अन्य वर्षों की एकमुश्त/वार्षिकी की धनराशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2487/तीन-5(9)/85सा0प्र0अनु0, दिनांक 07 जुलाई, 1987 एवं शासनादेश संख्या-वी0आई0पी0-111/तीन-98-5(14)/97सा0प्र0अनु0, दिनांक 06 मई, 1999, शासनादेश संख्या-2028(1)/तीन-2008-5(1)/2004, दिनांक 21 सितम्बर, 2008 एवं शासनादेश संख्या-647/तीन-2018-10(35)/2016, दिनांक 10-10-2018 के अनुसार श्री राज्यपाल अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत शौर्य चक्र से अलंकृत उत्तर प्रदेश के निम्नलिखिति 04 नागरिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार कुल धनराशि रू0 28,40,800/- (रू0 अठ्ठाईस लाख चालीस हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि का भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रमांक	अलंकृत व्यक्ति का नाम एवं पदनाम	अलंकरण/ पुरस्कार का नाम तथा प्रदान किये जाने की तिथि	अलंकृत व्यक्ति के स्थायी निवास का पता	राज्य सरकार से अनुमन्य धनराशि/एकमुश्त/ वार्षिकी एवं संगत वित्तीय वर्ष	धनराशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति
1	2	3	4	5	6
1	आई0 सी0- 63128 मेजर (अब कर्नल) मानवेन्द्र सिंह	शौर्य चक्र, 05-06-2006	मं0नं0-5/50 बी-16 गुरू रामदास नगर, सूतमील, जी0टी0 रोड, अलीगढ़-202001	वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु एकमुश्त रू0 10,000/- वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 हेतु रू0 200/- प्रतिवर्ष की वार्षिकी रू0 400/- वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15,	मेजर (अब कर्नल) मानवेन्द्र सिंह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

				2015-16, 2016-17 हेतु रू0 50,000/- प्रतिवर्ष की दर से वार्षिकी रू0 4,50,000/- एवं 2017-18 हेतु रू0 50,000/- की वार्षिकी (जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा कदाचित लिपिकीय त्रुटिवश प्रस्तुत प्रस्ताव में वर्ष 2017-18 की वार्षिकी का भुगतान किये जाने हेतु उल्लेख नहीं किया गया है। फिर भी तथ्यों को देखते हुए कर्नल मानवेन्द्र सिंह को वर्ष 2017-18 की वार्षिकी का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है) व वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 हेतु रू0 65,000/- प्रतिवर्ष की दर से रू0 1,95,000/- ---------- 10,000 + 400 + 4,50,000 + 50,000 + 1,95,000 = कुल रू0 7,05,400/-	
2	श्रीमती राजकली देवी पत्नी स्व0 मामचन्द सिंह	शौर्य चक्र	ग्रा0 व पो0- डंघेड़ा ब्लक- नांगल, तह0- देवबन्द, जिला- सहारनपुर	वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 हेतु रू0 200/- प्रतिवर्ष की वार्षिकी रू0 400/- वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 हेतु रू0 50,000/- की दर से रू0 5,00,000/- व वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 हेतु रू0 65,000/- प्रतिवर्ष की दर से रू0 1,95,000/- ---------- 400 + 5,00,000 + 1,95,000 = कुल रू0 6,95,400/-	श्रीमती राजकली देवी
3	एस0एस0- 44764 वाई मेजर अभिनव शुक्ला	शौर्य चक्र 26-01-2018	मं0नं0-134 जे, दरगहिया, नन्दानगर, पो0- कुड़ाघाट, थाना-	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु एकमुश्त रू0 10,00,000/- एवं वार्षिकी रू0 50,000/- तथा वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-	मेजर अभिनव शुक्ला

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			शाहपुर, जनपद-गोरखपुर	20 एवं 2020-21 हेतु वार्षिकी रू0 65,000 प्रतिवर्ष की दर से रू0 1,95,000/- ---------- 10,00,000 + 50,000 + 1,95,000 = कुल रू0 12,45,000/-	
4	नं0-2866865 ए भूतपूर्व राईफलमैन वेद प्रकाश	शौर्य चक्र 26-01-1976	ग्रा0 व पो0-राजपुर, खामपुर, तह0-बागपत जिला-बागपत, उ0प्र0	वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 व वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिकी रू0 65,000/- प्रति वर्ष की दर से कुल रू0 1,95,000/	भूतपूर्व राईफलमैन वेद प्रकाश
			योग :	रू0 28,40,800/-	
(रू0 अठ्ठाईस लाख चालीस हजार आठ सौ मात्र)					

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के लेखा शीर्षक "2075-विविध सामान्य सेवाएं-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-अशोक चक्र श्रृखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एकमुश्त धनराशि-42-अन्य व्यय' ' के नामे डाला जायेगा।

3- जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे की उपर्युक्त पुरस्कार विजेता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं।

4- जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि वार्षिकी की धनराशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रथम उत्तराधिकारी के बैंक खाते की पहचान नियमानुसार करने के उपरान्त म्समबजतवदपब निदक ज्तंदेमित से सही व्यक्ति को समय से वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्दर भुगतान किया जायेगा। यह भी सत्यापित कर लिया जाए कि भुगतान के समय प्रथम उत्तराधिकारी जीवत हो।

5- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित करके उल्लिखित व्यक्ति को भुगतान करा दी जाए तथा कोषागार से आहरण की तिथि तथा बाउचर संख्या महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज तथा शासन को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाए। संबंधित जिलाधिकारी स्वीकृत धनराशि हस्तगत कराने से पूर्व संबंधित लाभार्थी का "जीवित प्रमाण-पत्र' ' प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं तद्नुसार शासन को भी सूचित करेंगे। यह शासनादेश एवं ग्रिड रिपोर्ट www.shasanadesh.up.gov.in पर भी उपलब्ध है।

भवदीय,
जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- (1)/तीन-2020-6(12)/2018तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- कोषाधिकारी, अलीगढ़ /सहारनपुर/गोरखपुर एवं बागपत।
3- संबंधित व्यक्ति/प्राप्तकर्ता।
4- रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6- निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, उ0प्र0, कैसरबाग, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमेश यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्षः-2020-2021

आवंटन दिनांक-31/12/2020

प्रेषण संख्याः- 940

आवंटन आदेश संख्याः- 001-Ashok Chakra

अनुदान संख्याः- 84 सामान्य प्रशासन विभाग (वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)

लेखाशीर्षकः- 2075 विविध सामान्य संवायें (आयोजनेत्तर-मतदेय)

800- अन्य व्यय

03- अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उ0प्र0 के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एकमुश्त धनराशि

(धनराशि रू. में)

क्र0	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	सहारनपुर-4183-जिलाधिकारी-01	वर्तमान प्रगामी	695400 955400	695400 955400
2	अलीगढ़-4183-जिलाधिकारी-01	वर्तमान प्रगामी	705400 900400	705400 900400
3	गोरखपुर-4183-जिलाधिकारी-01	वर्तमान प्रगामी	1245000 1570000	1245000 1570000
4	बागपत-4183-जिलाधिकारी-01	वर्तमान प्रगामी	195000 585000	195000 585000
	योग	वर्तमान प्रगामी	2840800 4010800	2840800 4010800

महायोग-(वर्तमान आवंटन)- रूपया अठाईस लाख चालिस हजार आठ सौ

महायोग-(वर्तमान आवंटन)- रूपया चालीस लाख दस हजार आठ सौ

(उमेश यादव)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in